अनुदान संख्या 21 - रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 21–MINISTRY OF DEFENCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*		*26,00*	*63*	*–25,37*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*22,00*
स्वीकृत-	Voted–		6885,96,00	5389,28,69	–1496,67,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1451,27,31
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	529,17,00	529,18,00	436,63,00	–92,55,00
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				79,63,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *6.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052'' - "सचिवालय-सामान्य सेवाएं'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.6.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2052" - "Secretariat - General Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052''	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	62236.00	58161.55	57471.91	–689.64
पु.	R.	–4074.45			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037'' सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs					
मू.	O.	32503.00		35730.70	35195.08	–535.62
पू.	R.	3227.70				
मुख्य शीर्ष "2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police					
मू.	O.	25500.00		30526.00	31001.87	+475.87
पू.	R.	5026.00				
मुख्य शीर्ष "2059'' लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works					
मू.	O.	551.00		801.00	776.39	–24.61
पू.	R.	250.00				
मुख्य शीर्ष "2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services					
मू.	O.	566902.00		417151.94	413409.41	–3742.53
पू.	R.	–149750.06				
मुख्य शीर्ष "2216'' आवास	Major Head "2216" Housing					
मू.	O.	715.00		915.00	895.54	–19.46
पू.	R.	200.00				

(I) मुख्य शीर्ष "2052'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''सचिवालय - रक्षा विभाग''- 148.13 लाख रु. की बचत (5430.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(I) Under Major Head "2052" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat-Department of Defence"- saving of Rs.148.13 lakhs (against the sanctioned

में) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान परिसर के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक से कम्प्यूटरों की खरीद संबंधी बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य कार्यालय''-

(क) ''रक्षा लेखा विभाग''- 4496.37 लाख रु. की बचत (50915.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्ति, मृत्यु और कर्मचारी चयन आयोग से डोजियर प्राप्त न होने, लेखन सामग्री/कार्यालय उपस्करों एवं सूचना प्रौद्योगिकी मदों की आपूर्ति न होने की वजह से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट निधियों का उपयोग न होने, अधिकारियों/कर्मचारियों से चिकित्सा उपचार संबंधी दावे प्राप्त न होने, आभासी निजी नेटवर्क सेवाओं की दर सूची में कमी होने और कुछ परियोजनाओं के समय पर मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ख) ''रक्षा संपदा संगठन''- 122.03 लाख रु. की बचत (4952.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने/प्रतिनियुक्ति पर जाने और जांच समिति द्वारा स्वीकृति जारी न किए जाने की वजह से रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्य की तात्कालिक आवश्यकताओं की वजह से अस्थायी ड्यूटी कम होने और चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति कम होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''2075'' - ''कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवा निदेशालय'' के अंतर्गत 153492.59 लाख की बचत (566902.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिक्री कर हटा लिए जाने और मूल्यवर्धित कर लागू कर दिए जाने की वजह से बिक्री में कमी आने, स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाने जिसके परिणामस्वरूप क्रय क्षमता पर आर्थिक प्रतिबंध लगने और सेना कार्मिकों के लिए शराब प्राधिकृत होने में कमी आने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8653.70 लाख रु.) प्रयुक्त हो

provision of Rs.5430.30 lakhs) was due to slow progress in construction work of Institute for Defence Studies and Analysis(IDSA)Complex and non-receipt of bills on account of purchase of computers from the Director General of Supplies and Disposals.

(B) "Other Offices"-

(a) "Defence Accounts Department (DAD)"- saving of Rs.4496.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50915.20 lakhs) was due to retirement, death and non-receipt of dossiers from Staff Selection Commission, non-utilisation of funds earmarked for Information Technology related projects due to non-supply of stationery/office equipments and Information Technology items, non-receipt of medical claims from officers/ staff, reduction of tariff of Virtual Private Network Services and non- materialisation of some of the projects in time.

(b) "Defence Estate Organisation (DEO)"- saving of Rs.122.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4952.00 lakhs) was due to retirement / deputation of officers and non-filling of vacant posts owing to non-issuance of screening committee clearance, less temporary duty owing to exigencies of work and less reimbursement of medical claims.

(II) Under Major Head "2075"- "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services"- saving of Rs.153492.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.566902.00 lakhs) was due to reduction in sales owing to withdrawal of Sales Tax and imposition of Value Added Tax, introduction of smart cards that imposed monetary limit on the purchasing capacity and reduction in authorization of liquor for service personnel.

3.(I) The above savings were partly (Rs.8653.70 lakhs) utilised for augmenting the provision by

गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक तथा अन्य कार्य-तटरक्षक संगठन" - 3227.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2692.08 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष पुलिस - जम्मू तथा कश्मीर लाइट इन्फैंटरी के संबंध में अदा किए गए प्रभार"- 5026.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5501.87 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2059" - "कार्यालय भवन - रखरखाव तथा मरम्मत - रक्षा लेखा विभाग"- 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 183.30 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष "2216" - "सामान्य पूल आवास - रखरखाव तथा मरम्मत - अन्य रखरखाव व्यय"- 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 180.54 लाख रु. था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

reappropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2037" - "Preventive and Other functions – Coast Guard Organisation"- Rs.3227.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2692.08 lakhs.

(B) Major Head "2055" - "Special Police– Charges paid in respect of J&K Light Infantry (JAKLI)"- Rs.5026.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5501.87 lakhs.

(C) Major Head "2059" - "Office Buildings- Maintenance and Repairs- Defence Accounts Department"- Rs. 200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.183.30 lakhs.

(D) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation- Maintenance & Repairs-Other maintenance expenditure"- Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.180.54 lakhs

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	50000.00			
पू.	S.	1.00	43315.60	42259.13	–1056.47
पु.	R.	–6685.40			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1000.00	703.22	516.25	–186.97
पु.	R.	–296.78			
मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	800.00	160.00	114.75	–45.25
पु.	R.	–640.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	913.00	609.86	587.12	–22.74
पु.	R.	–303.14			

(I) 1.20 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "7615" - "विविध कर्ज" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत 7741.87 लाख रु. की बचत (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 50001.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी आधार पर कुछ संशोधन किए जाने की वजह से विभिन्न स्कीमों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने, शुष्क गोदी की सुविधा उपलब्ध न होने, बेपुर और पांडिचेरी में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामलों में अदायगी में प्रशासनिक विलंब होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs. 1.20 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7615"- "Miscellaneous Loans".

(II) Under Major Head "4047"-"Customs-Coast Guard Organisation"- saving of Rs.7741.87 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.50001.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2006) was due to non-sanctioning of various schemes on account of some modifications on technical grounds, non-availability of dry docking facility, administrative delay in payment for cases pertaining to acquisition of land at Beypore and Pondicherry.

(III) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - निर्माण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head "4059"-"Office Buildings-Construction" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''रक्षा लेखा विभाग''- 252.04 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों/अनुमानित अनुमानों को स्वीकृत न किए जाने/देर से स्वीकृत किए जाने और निविदा कार्रवाई को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Defence Accounts Department"- saving of Rs.252.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to non/late sanctioning of works/ Approximate Estimates (AEs) and non-finalisation of tender action.

(खा) ''रक्षा संपदा संगठन''- 231.71 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान और रक्षा मंत्रालय द्वारा परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से सिलीगुड़ी परियोजना के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Defence Estate Organisation"- saving of Rs.231.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds for National Institute of Defence Estate Management(NIDEM) and Siliguri project due to non-finalisation of project by the Ministry of Defence.

(IV) मुख्य शीर्ष ''4075'' - ''कैंटीन स्टोर विभाग - निर्माण'' के अंतर्गत 685.25 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य आदि की धीमी प्रगति की वजह से सैन्य इंजीनियरी सेवा प्राधिकारियों द्वारा निधियों का अर्जन न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4075"-"Canteen Stores Department-Construction"- saving of Rs.685.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-requisition of funds by Military Engineering Service authorities owing to slow progress of construction work etc.

(V) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निर्माण'' के अंतर्गत 275.48 लाख रु. की बचत (813.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिकन्दराबाद आदि में अतिथि गृह और रिहायशी आवास संबंधी निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction"- saving of Rs.275.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.813.00 lakhs) was due to non-sanctioning of construction projects of Guest House and residential accommodation at Secundrabad etc.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.40 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of Rs.50.40 lakhs occurred constituting 50 percent of the sanctioned provision.